संख्या: 319 /2024/ 2557 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक: 03 सितम्बर, 2024

विषय: जनपद मैनपुरी में सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 439/उ0प्र0सं0नि0- 5(136)/2022-23 दिनांक 29 अगस्त, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या- 76/2024/ 7181/चार-2023 दिनांक 03 फरवरी, 2024 द्वारा जनपद मैनपुरी में सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु रू0 3800.11 लाख एवं 05 वर्ष तक के अनुरक्षण हेतु रू0 698.93 लाख के अनुमन्य व्यय सहित रू0 4499.04 लाख (5 वर्ष के आपरेशन एण्ड मैनेजमेन्ट के अनुमन्य व्यय सहित) की प्रशासकीय एवं रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जनपद मैनपुरी में सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु रू0 500.00 लाख (रू0 पांच करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 76/2024/ 7181/चार-2023 दिनांक 03 फरवरी, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
(2) वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
(6) कार्यदायी संस्था द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किये गये कार्यों का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र इत्यादि शासन एवं उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय -14-जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण -24- वृहत् निर्माण कार्य मद (अनुदान संख्या-92) के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, मैनपुरी, उ0प्र0।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
6- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, यूनिट-43, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, फर्रूखाबाद (मुख्या0 कन्नौज)
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।